(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उक्त मद के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने दुग्ध उत्पादन के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के दुधारू पशुओं के दूध देने के वर्तमान औसत में वृद्धि करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि दूध की कीमतें नहीं बढ़ें और यह आम जनता की खरीद क्षमता की पहुंच में रहे; और

(ङ) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों के कार्यक्रमों के अलावा दुग्ध उत्पादन के 70 मिलियन टन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किए जाने वाले केन्द्रीय प्रायोजित निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार किया गया है :--

		परिव्यय 1992-97 (करोड़ रुपये में)
1.	गोपशु विकास	59.25
2.	आहार तथा चारा विकास	35.25
3.	स्वास्थ्य कवर	160.88
4.	विस्तार कार्यकलाप	19.00
5.	डेरी विकास	900.00

(घ) और (ङ) आम जनता के हित में वांछित गुणवत्ता वाले तरल दूध की अधिक आपूर्ति को बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का 10) के अन्तर्गत हाल ही में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 की घोषणा की है। यह आदेश सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को हुआ नुकसान

3320. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन .**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अक्तूबर, 1993 के दैनिक "स्टेट्समैन" में "127,000 टन्स स्पाइल्ड इन स्टोरेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी क्योंकि यह 127,000 टन खाद्य तेल को नहीं बेच पाया जो तीन वर्ष से लगातार भंडार में रखा हुआ था और खराब हो गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी आर्थिक हानि हुई और खाद्य तेल को खराब होने से न बचा पाने के क्या कारण थे; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा खाद्य तेल की भंडारण व्यवस्था पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कुम्भ कुमार) : (क) जी, हां।

और (ग) मण्डी हस्तक्षेप प्रचालन के तहत, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को खाद्य तेलों की खरीद और संग्रह तथा कमी वाले मौसम में तेलों की माल सूची बनाने का कार्य सम्पन्न करना होता है। जब भी खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता में सुधार होता है मंडी हस्तक्षेप प्रचालन के तहत तेल का स्टॉक काफी लंबी अवधि के लिए रखना होता है। जैसा कि वर्ष 1992-93 में किया गया, जब खाद्य तेलों को 1.26 लाख मीटरी टन मात्रा की मालसूची चालू वर्ष तक आगे लाई गई। इसके अतिरिक्त बर्तनों की पेन्दी में तेल जमा रहने से कमी-कभी कुछ समय के बाद तेल की कुछ मात्रा की क्वालिटी खराब हो जाती है जो

प्रत्यक्ष रूप से मानवीय उपयोग की दृष्टि से अनुपयुक्त होती है किन्तु परिष्कृत करके इसे उपयोग में लाया जा सकता है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने सभी संभव सावधानियां बरती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मण्डी हस्तक्षेप प्रचालन के तहत अधिकतम स्टॉक का निपटान अच्छी क्वालिटी के खाद्य तेलों के रूप में किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान भण्डारण गुणवत्ता नियंत्रण तथा बीमें पर व्यय की गई राशि सहित मण्डी हस्तक्षेप प्रचालन पर खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1990-91	5.59
1991-92	7.24
1992-93	9.54

छोटे और सीमान्त किसानों के लिए प्रोत्साहन योजना

3321. **श्री वीरेन जे. शाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के 76 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए हैं कि उक्त योजना का लाभ केवल छोटे और सीमान्त किसानों को ही मिले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त कर देने के कारण मूल्य-वृद्धि के परिणामस्वरूप और छोटे व सीमान्त किसानों की हितों की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार ने कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक विशेष योजना मंजूर की है। यह योजना 1992-93 के लिए अनुमोदित की गई थी।

(ख) जब राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्तों में से या महसूस की गई आवश्यकताओं और स्थानीय स्थितियों के अनुसार योजनाएं शुरू करने की पर्याप्त नम्यता दी गई थी तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में निम्नलिखित योजनाओं के लिए सुझाव दिए गए थे :—

(1) उत्तर पूर्व में क्वालिटी बीजों का बफर स्टॉक तैयार करना/बीज उत्पादन;

(2) बोर किए गए/उथले नलकूप आदि की व्यवस्था के लिए योजनाएं;

(3) छोटे/सीमान्त कपास कृषकों के बीच ड्रिप सिंचाई प्रणाली;

(4) भूमि विकास जिसमें मृदा का सुधार भी शामिल है;

(5) कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी, फल/सब्जी आदि के लिए छोटे/सीमान्त कृषक सहकारी समितियों की अवसंरचना को मजबूत बनाना;

(6) भण्डारण/खुदरा बिक्री केन्द्रों में सुधार करना, निम्न खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था;

(7) छोटे ट्रैक्टरों के उपयोग को बढ़ावा देना;

(8) उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना की स्थापना करना; और

(9) जीव विज्ञानीय नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ केवल छोटे/सीमान्त किसानों को ही प्राप्त हो, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और ऐसी योजनाओं का पता लगाने की सलाह दी गई है जो छोटे/सीमान्त किसानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हों।